भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2194

सोमवार, 2 दिसम्बर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक)

न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान

2194. श्री उत्तम कुमार रेड्डी नलमाडा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के बहुसंख्यक कामगारों की आय 10,000 रुपये प्रतिमाह से कम है;
(ख) विगत पांच वर्षों में 10,000 रुपये प्रतिमाह से कम कमाने वाले लोगों की वर्ष-वार, राज्य-वार तथा लिंग-वार, जाति-वार संख्या कितनी है;
(ग) न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में सरकार को प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है;
(घ) क्या इन शिकायतों के आधार पर कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मामलों की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाए, कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ): न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान की शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती है और उनका निवारण निरीक्षणों एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत यथा उल्लिखित संबंधित प्राधिकारी के समक्ष दावे दर्ज करके किया जाता है। केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 सहित विभिन्न श्रम कानूनों के तहत केन्द्रीय क्षेत्र में प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं। जब कभी भी, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करने से संबंधित मामलों का पता चलता है, दावा मामलें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत प्राधिकारी के समक्ष दर्ज किए जाते हैं। की गयी कार्रवाई का ब्यौरा अनुबंध 'क' में है।

*

*****

अनुबंध – "क"

न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी के भुगतान से संबंधित श्री उत्तम कुमार रेड्डी नलमाडा द्वारा दिनांक 2.12.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2194 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2019-20 (सितम्बर, 2019 तक)
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	8327	3564
2.	पता चली अनियमितताओं की संख्या	61489	32465
3.	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	34465	12186
3.	आरंभ किए गए अभियोजानों की संख्या	2081	975
4.	दोषसिद्धियों की संख्या	651	226

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत दावाकृत मामले

वर्ष	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत दर्ज किए गए दावे			
	अग्रानित	दर्ज	निर्णीत	अधिनिर्णीत (रुपये)
2018-19	2790	1908	1307	26,75,44,000
2019-20 सितम्बर, 2019 तक	3391	1303	1076	8,16,46,501

*****